भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3527
(शुक्रवार, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया गया)
सीएसआर का अनुपालन

3527. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधीः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी कंपनियां और बहुराष्ट्रीय कंपनियां समाज के प्रति असंवेदनशील हैं और इन्होंने वर्ष 2017 से आज की तारीख तक कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत बहुत कम धनराशि खर्च की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी निजी कंपनियों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम क्या हैं तथा इनके द्वारा वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है;
(ग) सरकार द्वारा ऐसी निजी कंपनियों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और
(घ) क्या सरकार द्वारा इन कंपनियों को समाज के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री पी. पी. चौधरी)**

(क) से (घ): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135 के अनुसार निर्धारित ऊपरी सीमा से अधिक कारोबार, या निवल मूल्य, या निवल लाभ वाली प्रत्येक कंपनी, जिसमें बहु-राष्ट्रीय कंपनियां (एमएनसी) भी शामिल हैं, द्वारा तीन पूर्ववर्ती वित्त वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत, अधिनियम की अनुसूची-VII में विहित कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों पर खर्च करना अनिवार्य है। वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए एमसीए-21 रजिस्ट्री में 30.11.2017 तक कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के अनुसार सीएसआर पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

दो वित्त वर्षों के लिए सीएसआर व्यय

वित्तीय वर्ष		2015-16		2016-17	
क्र. सं.	**कंपनी का प्रकार**	**सीएसआर रिपोर्ट करने वाली कंपनियों की संख्या**	**सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)**	**सीएसआर रिपोर्ट करने वाली कंपनियों की संख्या**	**सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)**
1.	पीएसयू	397	4163.09	132	1325.83
2.	अन्य कंपनियां (एमएनसी सहित)	18787	9664.77	6154	3393.17
	कुल	19184	13827.86	6286	4719.00

मंत्रालय ने 19.01.2018 को राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल (www.csr.gov.in) आरंभ किया है जिसमें सीएसआर पात्र कंपनियों और उनके सीएसआर व्यय के ब्यौरे दिए गए हैं। जब कभी अधिनियम के सीएसआर संबंधी उपबंध के उल्लंघन की सूचना मिलने पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(8) के अधीन दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

मंत्रालय ने कारपोरेटों को सीएसआर उपबंधों के प्रभावी अनुपालन की जानकारी देने के लिए संपूर्ण भारत में कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

*****